न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, उदयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : **दमयंती पुरोहित, RJS**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 170–/2026
सेशन प्रकरण संख्या–111/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–685/2025 थाना प्रतापनगर

सुरेश पिता गणेशलाल भील उम्र वयस्क निवासी देवा तालाब माल की टुस, ग्रुपी, जिला उदयपुर
–– प्रार्थी

–बनाम–

राजस्थान राज्य,
–– विपक्षी

अपराध अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता
<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस</u>

उपस्थित:–
1– श्री प्रकाश पारगी–अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2– श्री दिनेश गुप्ता–अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

–आदेश– दिनांक: 05.05.2026

प्रार्थी सुरेश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी का वाहन मोटरसाइकिल पल्सर संख्या RJ27–JB–1890 को पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा तहवील में ले रखा है जिसका प्रार्थी स्वामी है। जिसके थाने में पडे रहने से खराब होने की संभावना है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। उक्त वाहन थाने में खुले स्थान पर पडा होकर उसके रंग रोगन, मशीनरी आदि खराब होने की संभावना है। उक्त वाहन प्रार्थी के दैनिक कार्यों में काम आता है। प्रार्थी आदेशानुसार जमानत व बॉण्ड पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे।

उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विधि अनुसार आदेश पारित करने की प्रार्थना की।

मैंने उभय पक्षों के उपरोक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि मुलजिम के विरूद्ध दिगर मुलजिम के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत ललित उर्फ लोकेश एवं उसके मित्र को जाते हुए को रोककर उसके साथ कुंद हथियार से मारपीट कर घोर उपहति कारित करने एवं उसे जान से मारने का प्रयास करने का अपराध अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है तथा प्रश्नगत वाहन को अभियुक्त जगदीश द्वारा घटना में प्रयुक्त किये जाने से अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया है। प्रकरण में आरोपपत्र पेश हो चुका है, पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर है। प्रार्थी ने वाहन के स्वामित्व के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया है वह स्वयं प्रार्थी के नाम का है। वाहन थाने पर खुले स्थान पर पडा खराब हो रहा है तथा बरामदशुदा वाहन के संबंध में अन्य कोई उजरदारी पेश नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से वाहन के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी सुरेश पिता गणेशलाल भील उम्र वयस्क निवासी देवा तालाब माल की टुस, ग्रुपी, जिला उदयपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–497–503 बीएनएसएस स्वीकार किया

जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस न्यायालय के संतोषप्रद यदि 1,00,000/–रूपये का सुपुर्दगीनामा एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा निम्न शर्तों का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि:–

1. प्रार्थी वाहन के रंग रोगन, आकार प्रकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
2. प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के वाहन को विक्रय, अन्तरित या किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करेगा।
3. जब भी न्यायालय द्वारा वाहन तलब किया जावे तब प्रार्थी/वाहन स्वामी अपने खर्चे पर तुरन्त वाहन को बताये गए स्थान पर या न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
4. सुपुर्दगी पर दिए जाने से पूर्व वाहन के नंबर दिखते हुए एवं सभी दिशाओं से कलर फोटोग्राफ खिंचवाकर थानाधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार किया जावे।

प्रार्थी इस आशय की अण्डर टेकिंग भी प्रस्तुत करे कि उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उजर किया जाता है तो उसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर प्रदान किये जावे। इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे।

{दमयंती पुरोहित}

आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{दमयंती पुरोहित}